छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर

E-mail- cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com

विधि छात्रों के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम दिनांक 01 फरवरी 2027 से 21 फरवरी 2027

विधि छात्रों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

01 पांच वर्षीय तथा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विधि छात्रों के लिए दिनांक 01/02/2027 से 21/02/2027 तक की अवधि के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसके अंतर्गत् दिनांक 01/02/2027 से 15/02/2026 तक कुल 15 दिवस की इन्टर्नशिप की कार्यवाही संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पन्न की जावेगी।

02 पांच वर्षीय पाठ्यक्रम तथा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विधि छात्रों के लिए दिनांक 01/02/2027 से दिनांक 21/02/2027 तक के कार्य दिवसों में इन्टर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

03 इन्टर्नशिप हेतु इच्छुक विधि छात्र निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र भरें तथा इंटर्नशिप आवेदन पत्र के साथ आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त **BONAFIDE/ RECOMMENDATION LETTER** आवश्यक रूप से संलग्न करें।

04 इन्टर्नशिप हेतु आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 25/01/2027** निर्धारित है।

05 इंटर्नशिप हेतु इच्छुक विधि छात्र **संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जहॉ से वे इंटर्नशिप करने हेतु इच्छुक हैं,** उक्त अंतिम तिथि तक उचित माध्यम से एवं निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदनपत्र स्वतः उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

06 निर्धारित **अंतिम तिथि 25/01/2027** के समापन उपरांत या ई–मेल से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

07 इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि **01–02–2027 से दिनांक 21–02–2027** की अवधि में इन्टर्नशिप करने वाले विधि छात्रों की उपस्थिति निम्नानुसार रहेगी–

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक 01/02/2027 से दिनांक 15/02/2027, **कुल 15 दिवस**
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में दिनांक 16/02/2027 से 18/02/2027, **कुल 03 दिवस**
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक 19/02/2027 से 21/02/2027, **कुल 03 दिवस**

08 इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले विधि छात्रों के द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतिम दिवस अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट पीडीएफ फार्मेट में छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ई–मेल **cgslsa@gmail.com** पर प्रेषित की जावेगी।

09 इन्टर्नशिप रिपोर्ट सुस्पष्ट, पठनीय एवं सारवान ढंग से अधिकतम ए–4 साईज के पन्नों में जो अधिकतम दस पन्नों में होगी तैयार की जाएगी ।

10 इन्टर्नशिप रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर इन्टर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले विधि छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, कक्षा, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम, इन्टर्नशिप प्रारंभ करने वाले, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में दर्शित होना चाहिए तथा इन्टर्नशिप रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उक्त विधि छात्र के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

11 शासकीय अवकाश को छोड़कर बाकि सभी दिवसों में इन्टर्नशिप करने वाले विधि छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। सम्पूर्ण इन्टर्नशिप कार्यक्रम अवधि में अधिकतम तीन दिवस की अनुपस्थिति स्वीकार की जा सकेगी। इससे अधिक अवधि की अनुपस्थिति की दशा में इन्टर्नशिप प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी उपस्थिति के आधार पर इन्टर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाणपत्र वितरित किया जा सकेगा।

(लीलाधर साय यादव)
सदस्य सचिव
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ0ग0

Member Secretary
State Legal Services Authority
Bilaspur (C.G.)